

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आजा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 12 90 /2019

दिनांक 27.06.2019

श्रीमती स्निग्धा सूद (RJ1041), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-01, अलवर को दिनांक 28.06.2019 से 24.12.2019 तक 180 दिनों का मातृत्व अवकाश (प्रथम संतान) दिनांक 25.12.2019 से 01.01.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

सुश्री शैली परवाल (RJ1154), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-02, अलवर को श्रीमती स्निग्धा सूद के उक्त मातृत्व अवकाश की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-01, अलवर के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित / नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

- (1) ऐसे प्रकरणों, जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है और उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे ।
- (2) सुश्री शैली परवाल (RJ1154), जिनको अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-01, अलवर के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है ।

आजा से

27-6-19
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/29/2016/ 5870

दिनांक : 27.06.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर को उनके पत्रांक 14111 दिनांक 15.06.2019 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती स्निग्धा सूद (RJ1041), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-01, अलवर।
4. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-01, अलवर ।
5. सुश्री शैली परवाल (RJ1154), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-02, अलवर ।
6. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-02, अलवर ।
7. संबंधित कोषालय ।
8. संबंधित लिपिक / स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस्. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर ।

सहायक रजिस्ट्रार